सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
राजस्व वाद संख्या 25/2017
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – रूपनगर

1. श्री घीसा वयस्क पुत्र स्व. श्री धन्ना
2. श्री रसूल वयस्क पुत्र स्व. श्री धन्ना
3. श्री करीमा वयस्क पुत्र स्व. श्री धन्ना

समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम फतेहगढ़ सल्ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

——— प्रार्थीगण

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 08.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट रूपनगर में पेश हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664/1335 रकबा 00–00–10, 1192/1338 रकबा 00–06–00 भूमियां वादीगण की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता स्व. धन्ना वल्द मोती जाति मेहरात निवासी ग्राम फतेहगढ़ सल्ला तहसील ब्यावर चले आ रहे थे, जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों गिरदावरियों इत्यादि से प्रमाणित है। श्री धन्ना जी व उनकी पत्नि श्रीमती बीवी का स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों में वादीगण एवं उनके पिता स्व. श्री धन्ना जी की जाति मेहरात ही अंकित चली आ रही तथा अन्य आराजियात बाबत् भी स्व. धन्नाजी का विरासती दाखिल खारिज वादीगण के नाम से जो खोला गया है उसमें भी वादीगण व उनके पिता की जाति मेहरात ही अंकित चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात के पूर्व के समस्त रेकार्ड में भी वादीगण के पिता स्व. धन्ना जी की जाति मेहरात ही अंकित चली आ रही है। कालांतर में वादग्रस्त आराजियात की नई जमाबंदियों में राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से उपरोक्त आराजियात में वादीगण के पिता स्व. धन्ना वल्द मोती के नाम अंकित चली आ रही उक्त भूमियों में संहवन से वादीगण के पिता की जाति मेहरात के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई है जबकि वादीगण एवं उनके परिवारजन का रावत जाति के किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है तथा वादीगण एवं उनके परिवारजन प्रारंभ से ही मेहरात जाति से संबंधित चले आ रहे हैं। वादीगण को राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि की जानकारी हुई जिसके पश्चात् प्रतिवादी को निवेदन किया कि उक्त जाति रावत के स्थान पर मेहरात दुरूस्त अंकित करा देवे किंतु प्रतिवादी द्वारा इस हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश लाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया, इस कारण उक्त वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि राजस्व अभिलेख में दुरूस्त फरमाते हुए वादीगण के पिता धन्ना वल्द मोती के नाम जो उपरोक्त वर्णित आराजियात अंकित चली आ रही है, उसमें उनकी जाति रावत के स्थान पर मेहरात दुरूस्त कर अंकित कर देवे एवं तत्पश्चात स्व. श्री धन्ना जी का विरासती दाखिल खारिज़ वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में खोल दिया जावे तथा इस आशय की तहरीर प्रतिवादी को जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पत्रांक भूअ/2119 दिनांक 11.04.2018 से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार मण्डल रूपनगर की आराजी खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00 किस्म बा.3, 664/1335 रकबा 00–00–10 किस्म बा.3, 1192/1336 रकबा 00–06–00 किस्म बा.3, 1193/1337 रकबा 00–04–00 किस्म बा.3, 1194/1338 रकबा 00–14–00 किस्म बा.3, 1199/1339 रकबा 00–13–00 किस्म बा.3 कित्ता 6 रकबा 02–14–10 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 133 पर धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार इन्द्राज है। वादीगण घीसा रसूल करीमा पि0 धन्ना का ग्राम में पूछताछ के आधार पर

.................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त होना बताया है। वादीगण का उक्त ख.नं. व उनके मूल नम्बर पर काबिज है जिनमें वादीगण के नाम घीसा रसूल करीम पि0 धन्ना वगैरह मेरात के नाम से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज है। राजस्व रेकार्ड में मृतक धन्ना पुत्र मोती की जाति मेरात के बजाय रावत इन्द्राज होने से विरासत नहीं होना पाया गया। वादीगण द्वारा तहसील कार्यालय ब्यावर से पुराने राजस्व रेकार्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाई गयी जिसमें मिलान क्षेत्रफल अंतिम चौसाला व वर्किंग जमाबन्दियों के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 496 के हाल ख.नं. 663, 664/1335 व साबिक खसरा नम्बर 696, 697 से हाल ख.नं. 1192, 1192/1336, 1993, 1993/1337, 1194, 1194/1338 व 1199, 1199/1339 नम्बर बने हैं। साबिक खसरा नम्बर 696, 697 में अंतिम चौसाला में वादीगण के पिता धन्ना पुत्र मोती मेहरात के नाम से इन्द्राज है जिनके 1192/1336, 1993/1337, 1194/1338 1199/1339 मूल नम्बर बने हैं। मूल खसरा नम्बर 664 जो साबिक खसरा नम्बर 496 से बना है के मूल खसरा नम्बर 1192, 1193, 1194, 1199, 666, 664, 671, 673 में वादीगण की जाति मेरात ही इन्द्राज चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मेरात दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में वादीगण के पिता धन्ना पुत्र मोती की जाति रावत इन्द्राज है जो लगातार राजस्व रेकार्ड में रावत चली आ रही है। वादीगण व ग्रामवासियान से पूछताछ के आधार पर वादपत्र में वर्णित भूमियां वादीगण के पिता धन्ना पुत्र मोती मेरात की है एवं ये ही काश्त करते हैं।

प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण ने उनके पिता धन्ना पुत्र मोती की जाति रावत के स्थान पर मेरात किये जाने का निवेदन किया तथा पेरोकार सरकार ने भी रावत के स्थान पर जाति मेरात किया जाना उचित बताया।

बहस के परिप्रेक्ष्य में मज़में आम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर भू अभिलेख निरीक्षक फतहपुरिया दोयम की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता 133 में अंकित खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664/1335 रकबा 00–00–10, 1192/1336 रकबा 00–06–00 धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार अंकित है। जबकि जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 182 में अंकित ,खसरा संख्या 641, 642, 664, 671, 673, 691, 1121/1260, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199 कुल खसरा 17 कुल क्षेत्रफल 14–01–00 में धन्ना के वारिसान बीवी बवा धन्ना घीसा रसूल करीमा पि. धन्ना कौम मेरात सा. देह खातेदार घीसा का हिस्सा राहिन भा. स्टेट बैंक सां. शाख ब्यावर दर्ज होना पाया गया है। उक्त खसरान में प्रार्थीगण की जाति मेरात अंकित है। ग्राम पंचायत रूपनगर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.07.2017 में रसूल पुत्र धन्ना जाति मेहरात के पिता धन्ना पुत्र मोती की जाति मेहरात होना अंकित किया है। धन्ना पुत्र मोती तथा बीवी पत्नि धन्ना के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार की छाया प्रति जिसमें साबिक खसरा संख्या 496 के हाल नम्बर अन्य खसरान् के साथ 663, 664 तथा इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 696 के हाल नम्बर अन्य खसरान् के साथ 1192 बनना पाया जाता है। ग्राम फतेहगढ़ सल्ला की जमाबन्दी संवत् 2023–26 के खाता संख्या 23 में अन्य नम्बरान के साथ साबिक खसरा संख्या 696 में धन्ना वल्द मोती कौम मेरात साकिन देह खुदकाश्त दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 69 में अन्य खसरान् के साथ साबिक खसरा संख्या 696 में धन्ना वल्द मोती कौम मेरात साकिन देह दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 96 में साबिक खसरा संख्या 496 जिसके हाल नम्बर 664 बने हैं, में धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 117 में साबिक ख.सं. 496 के हाल नम्बर 663 में धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन तथा मज़में में आम पूछताछ व तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की जाति मेहरात होना ज़ाहिर होता है तथा पूर्व के दस्तावेजात्

.....................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

में प्रार्थीगण के पिता धन्ना वल्द मोती की जाति मेरात होना भी अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664/1335 रकबा 00–00–10, 1192/1338 रकबा 00–06–00 में अंकित धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार के स्थान पर धन्ना वल्द मोती कौम मेहरात दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में धन्ना वल्द मोती की जाति रावत के स्थान पर मेहरात अंकित किया जाकर दुरूस्ती करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 08–05–2018 को मज़में आम में ग्राम पंचायत रूपनगर में खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर